न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 20/**2022** अपील (राजस्व)

GCMS No. 2022/20

श्रीमती केसी बाई नागदा पत्नी कालुलाल नागदा पुत्र स्व. परसराम नागदा निवासी–220/1672, मेवाड़ विद्या मन्दिर स्कूल के पास, टेकरी, जिला–उदयपुर

..........**अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री भेरूशंकर नागदा पुत्र स्व. परसराम नागदा निवासी–म.न. 195, माली कॉलोनी, नाहर सिंह जी माता जी के पीछे वाली गली, तहसील–गिर्वा, उदयपुर अन्य पताः म.न. 02/32 गणेश तालाब बसन्त विहार मेन रोड, दादाबाडी कोटा, राजस्थान
2. श्री ओमप्रकाश नागदा पुत्र स्व. परसराम नागदा निवासी–म.न. 195, माली कॉलोनी, नाहर सिंह जी माता जी के पीछे वाली ग़ली, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
3. श्रीमती रतनी बाई पुत्री स्व. परसराम नागदा पत्नी स्व. वैध विजयशंकर नागदा, ज्योति भवन नागदा, बाडी डबोक, तहसील–मावली, उदयपुर, राज.
4. सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर राज.

..........**विपक्षीगण**

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार गिर्वा दिनांक 09.06.92 नामांतरकरण संख्या 323, अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः 1. श्री खूबीलाल सिंघवी, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 एवं 3

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राज.)

निर्णय

दिनांकः– 8/9/25

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलाण्ट द्वारा एक अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार गिर्वा दिनांक 09.06.92 नामांतरकरण संख्या 323, अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उदयपुर शहर में स्थित आराजी संख्या 731 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 742 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, 743 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 720 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, 724 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, 727 रकबा 0.1050 हैक्टेयर, 728 रकबा 0.0250 हैक्टेयर कुल किता 7 रकबा 0.4450 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर अपीलाण्ट के

जिला कलक्टर
उदयपुर

स्वर्गवासी पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। अपीलाण्ट के पिता स्व. परसराम की मृत्यु के समय जीवित वारीसान में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 एवं उनकी माता जवेरी बाई थी। उक्त सभी वारिसान के होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 व जवेरी बाई के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने में भारी कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् उपरोक्त वर्णित भूमि उनके सभी प्रथम श्रेणी वारीसान के नाम दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु रेस्पोडेंटगण ने राजस्व कर्मियों से मिलीभगत करके उक्त भूमि केवल रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम करवा दी तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 के लिए शपथ पत्र पेश कर दिया जबकि शपथ पत्र के आधार पर अधिकार त्यागे जाने का विधि में कही कोई स्थान नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने आपसी मिलीभगत करके अपीलाण्ट के नाम पैतृक भूमि में खुलने वाले नामान्तरकण से वंचित करने की गरज से सारी कार्यवाही विधि विरूद्ध की है। जब रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तरकरण खोला गया तो उस समय अपीलाण्ट जीवित थी किन्तु उक्त नामान्तरकरण खोले जाने के समय रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त तथ्य को भी छिपाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 323 खुलवाया गया है जो एबईनिशियोबोईड है। अपीलाण्ट को दिनांक 31.01.2022 को ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 स्व. परसराम जी की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया तब अपीलाण्ट ने नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की तो पता चला कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलाण्ट एंव रेस्पोडेंट संख्या 3 को उनके पिता की भूमि से वंचित करने हुए सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया अपीलाण्ट का अपने पिता की भूमि 1/4 हिस्सा है। रेस्पोडेंट संख्या 4 ने स्व. परसराम के वारीसान की कोई जांच भी नहीं की एंव नामान्तरकरण विरासत से केवल रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम स्वीकृत किया जो कानून के विपरीत है, जिसे निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेंट संख्या 4 के आदेश दिनांक 09.06.1992 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम नामांतरकरण संख्या 323 स्वीकृत किया उसे निरस्त फरमाया जावे एवं स्व. परसराम की उपरोक्त भूमि में अपीलाण्ट के नाम का अंकन कराया जावे।

अपीलाण्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय की जानकारी प्रार्थीया को नहीं थी क्योंकि उक्त प्रकरणं कैम्प कोर्ट में निर्णित हुआ जिसके संबंध में प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई सूचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नहीं की गई थी। दिनांक 31.01.2022 को अपीलाण्ट को ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने उसके पिता की सम्पूर्ण भूमि का नामांतरकरण अपने नाम पर ही खुलवा दिया है तब अपीलाण्ट ने नामांतरकरण की नकल प्राप्त की तो पता चला कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलाण्ट के पिता स्व. परसराम की उपरोक्त वर्णित

जिला कलक्टर
उदयपुर

आराजीयात भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवा दिया है जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को यह पता था कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात में अपीलाण्ट का भी हक हिस्सा है किन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलाण्ट एवं अन्य वारीसान को स्व. परसराम की जायदाद से वंचित करने की गरज से नामान्तरकरण केवल रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम पर खुला दिया। अपीलाण्ट ने दिनांक 14.02.2022 को नामांतरकरण की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार गिर्वा के यहां पेश किया जिसकी नकल अपीलाण्ट को दिनांक 22.02.2022 को प्राप्त हुई एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई इससे पूर्व अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं थी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 09.06.1992 से 02.03.2022 तक का समय कण्डोन कराया जाकर अपील अन्दर मयाद मानी जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाण्ट एवं विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस शामिल पत्रावली की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलाण्ट के पिता की सम्पूर्ण भूमि का नामांतरकण अपने नाम पर ही खुलवा दिया है तब अपीलाण्ट ने नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की तो पता चला कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलाण्ट के पिता स्व. परसराम की उदयपुर शहर में स्थित आराजी संख्या 731 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 742 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, 743 रकबा 0.0200 हैक्टैयर, 720 रकबा 0. 0050 हैक्टेयर, 724 रकबा 0.2000 हैक्टेर, 727 रकबा 0.1050 हैक्टेयर, 728 रकबा 0.0250 हैक्टैयर कुल किता 7 रकबा 0.4450 हैक्टेयर भूमि का नामान्तकरण अपने नाम पर खुलवा दिया है जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को यह पता था कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे अपीलाण्ट का हक हिस्सा निहित है किन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलाण्ट व अन्य वारीसान को स्व. परसराम जी की जायदाद से वंचित करने की गरज से नामांतरकरण केवल रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम खुलवा दिया। अपीलाण्ट ने दिनांक 14.02.2022 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार गिर्वा के यहां पेश किया जिसकी नकल अपीलाण्ट को दिनांक 22.02.2022 को को प्राप्त हुई एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलाण्ट एंव रेस्पोडेंट संख्या 3 को उनके पिता की भूमि से वंचित करने हुए सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया अपीलाण्ट का अपने पिता की भूमि में 1/4 हिस्सा है। रेस्पोडेंट संख्या 4 ने स्व. परसराम के वारीसान की कोई जांच भी नहीं की एंव नामान्तरकरण विरासत से केवल रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम स्वीकृत किया जो कानून के विपरीत है, जिसे निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेंट संख्या 4 के आदेश दिनांक 09.06.1992 द्वारा

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 20/2022 अपील राजस्व
केसीबाई बनाम भेरूशंकर
GCMS No. 2022/20

रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम नामांतरकरण संख्या 323 स्वीकृत किया उसे निरस्त फरमाया जावे एवं स्व. परसराम की उपरोक्त भूमि में अपीलाण्ट के नाम का अंकन कराया जावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 3 द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलाण्ट द्वारा नामान्तकरण दिनांक 09.06.1992 लगभग 30 वर्ष बाद विरासत के नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत की है। वर्तमान में भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज है। वर्ष 2006 में 90 बी की कार्यवाही होकर आबादी दर्ज हो चुकी है। भूखण्ड काटे जा चुके है। इतने वर्षो तक कोई आपत्ति नही की। आज जो उक्त भूमि के मालिक है उन्हे सुने बिना निर्णय किया जाना उचित नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने अपने विवाह पश्चात् पूरी तरह से हमारे परिवार में आना जाना बंद कर दिया था। इस कारण से हमारे पिता जी के स्वर्गवास के पश्चात् नामांतरकरण हम रेस्पोडेंटगण के नाम ही खोला गया। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेंटगण से सारे सामाजिक रिश्ते नाते तोड दिये थे इस कारण से रेस्पोडेंटगण ने स्व. पिता जी की इच्छा अनुरूप अपीलाण्ट का रेस्पोडेंटगण की पैतृक भूमि में नामान्तरकण नहीं खुलवाया गया। जब अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेंटगण से सारे सांसारिक रिश्ते नाते तोड दिये तो अपीलाण्ट किस आधार पर नामान्तरकरण को चुनोती दे सकती है रेस्पोडेंट संख्या 3 जैसे चाहे वैसे अपने अधिकार त्यागे अपीलाण्ट को उजर करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट जीवित अवश्य थी किन्तु अपीलाण्ट को स्व. पिता जी ने अपनी समस्त चल अचल सम्पति से सामाजिक तौर पर बेदखल कर दिया था इस कारण अपीलाण्ट का पिता जी की भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है और जो नामांतरकरण खुला है वह सही है। अपीलाण्ट द्वारा हम रेस्पोडेंटगण के परिवार से सभी रिश्तेनाते खत्म कर देने के कारण उसका नामान्तरकरण नहीं खोला गया इस तथ्य की अपीलाण्ट को शुरू से जानकारी थी इसलिए अपीलाण्ट की अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलाण्ट की अपील गलत आधारों पर होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। अपीलाण्ट का कथन है कि उदयपुर शहर में स्थित आराजी संख्या 731 रकबा 0.0100 हे., 742 रकबा 0.0800 हे., 743 रकबा 0.0200 हे., 720 रकबा 0.0050 हे., 724 रकबा 0.2000 हे., 727 रकबा 0.1050 हे., 728 रकबा 0.0250 हे. कुल किता 07 रकबा 0.4450 हे. भूमि अपीलाण्ट के स्वर्गवासी पिता परसराम जी नागदा के नाम थी उनके स्वर्गवास पश्चात उपरोक्त भूमि उनके जीवित प्रथम श्रेणी विधिक वारीसान के नाम दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु नही की गयी।

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 20 / 2022 अपील राजस्व
केसीबाई बनाम भेरूशंकर
GCMS No. 2022/20

अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार गिर्वा के नामान्तरकरण संख्या 323 दिनांक 09.06.1992 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जो लगभग 30 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। 30 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत करने का उचित व सुसंगत कारण अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार उक्त भूमि का बिकाव होकर पुनर्गहण आदेश (90–बी) 01.11.2006 को ही जारी किये जाकर वर्तमान में भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। अतः इतने विलम्ब के पश्चात जबकि भूमि वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज होकर आबादी भी हो गई है, अपील स्वीकार योग्य नही पायी जाती है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अपीलाण्ट सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर राहत प्राप्त कर सकता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राज.)

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर